रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236955
CG-DL-E-01072022-236955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/ आषाढ़ 10, 1944
No. 469] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 503(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्य के होते हुए भी, ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 115-छ (ईंधन खपत मानक) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"115-छ. ईंधन की खपत मानक

(क) जीवीडब्ल्यू≤ 3.5 टन के एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:-

(1) एम1, जो नियम 126 के तहत टाइप अनुमोदित हैं, क्वाड्रिसाइकिल के अलावा, कम से कम चार पहियों वाले यात्रियों और उनके सामान की लाने-ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है और जिसमें चालक की सीट सहित नौ से अधिक सीटें नहीं होती हैं और भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं सकल वाहन वजन के मोटर वाहनों के प्रत्येक निर्माता या आयातक 1 अप्रैल, 2017 से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित औसत ईंधन खपत मानक का अनुपालन करेगा, जिसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या 1072 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(2) उप-नियम (1) के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया दस्तावेज़ संख्या एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 या समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 137 में निर्धारित की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया का मूल्यांकन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी द्वारा वार्षिक रूप से किया जाएगा।

(ख) साढ़े तीन टन (3.5 टन) से बारह टन (12.0 टन) तक के सकल वाहन वजन वाले एम 2, एम 3 और एन 2 श्रेणी के वाहनों के लिए:-

(1) टिपर्स को छोड़कर, एम 2, एम 3 और एन 2, जो नियम 126 के तहत टाइप अनुमोदित हैं, भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित सकल वाहन वजन साढ़े तीन टन (3.5 टन) से बारह टन (12.0 टन) तक के मोटर वाहनों का 1 अप्रैल, 2023 से निरंतर गति ईंधन खपत मानक का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक निर्माता या आयातक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित ईंधन खपत लक्ष्य का अनुपालन करेगा, जिसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या का.आ. 2540 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 2019 एवं का.आ. 1464(अ), दिनांक 29 मार्च, 2022 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(2) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) की प्रक्रिया निरंतर गति ईंधन खपत मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने की प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 149 में निर्धारित की जाएगी।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी, उप-नियम (1) और (2) के तहत निर्दिष्टानुसार वाहन निर्माताओं द्वारा एकत्र, जांच और रिपोर्ट किए गए आंकडों को वार्षिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपेगी।

(ग) जीवीडब्ल्यू ≥12.0 टन के एम 3 और एन 3 श्रेणी के वाहनों के लिए:-

(1) टिपर्स को छोड़कर, एम 3 और एन 3, जो नियम 126 के तहत टाइप अनुमोदित हैं, भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित बारह टन और उससे अधिक सकल वाहन वजन के मोटर वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत मानक का

परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक निर्माता या आयातक 1 अप्रैल, 2023 से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित ईंधन खपत लक्ष्य का अनुपालन करेगा, जिसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या का.आ. 2670 (अ), दिनांक 16 अगस्त, 2017, के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसमें का.आ. 3215 (अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2020 और का.आ. 1465 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2022, द्वारा संशोधन किया गया।

(2) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) की प्रक्रिया निरंतर गति ईंधन खपत मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने की प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 149 में निर्धारित की जाएगी।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी, उप-नियम (1) और (2) के तहत निर्दिष्टानुसार वाहन निर्माताओं द्वारा एकत्र, जांच और रिपोर्ट किए गए आंकडों को वार्षिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपेगी। ”

[सं.आरटी-11035/03/2016-एमवीएल (भाग -1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक......... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022

G.S.R. 503(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in the rule 115-G (Fuel Consumption Standard), the following shall be substituted, namely:-

"115-G. Fuel Consumption Standard

(A) For M1 category vehicles of GVW≤ 3.5 T:-

(1) Every manufacturer or importer of M1 motor vehicles which are type approved under rule 126, with at least four wheels, other than Quadricycles, used for carriage of passengers and their luggage and comprising not more than nine seats including driver’s seat , and of gross vehicle weight not exceeding 3,500 kilograms, manufactured or imported for sale in India, shall on and from the 1^{st} day of April, 2017, comply with the Average Fuel consumption Standard,

notified under the Energy Conservation Act,2001 vide notification of the Government of India in the Ministry of Power number 1072(E), dated the 23rd April, 2015, as amended from time-to-time.

(2) The procedure for ensuring compliance under sub-rule (1) shall be as laid down in Document No. MoRTH/CMVR/TAP-115/116 or AIS 137, as amended from time-to-time.

(3) The procedure specified under sub-rule (2) shall be evaluated annually by the agency designated by the Ministry of Road Transport and Highways.

(B) For M2, M3 and N2 category vehicles with gross vehicle weight between three and a half tonnes (3.5 T) and twelve tonnes (12.0 T):-

(1) Every manufacturer or importer of M2, M3 and N2 vehicle category, except Tippers, which are type approved under rule 126, with gross vehicle weight between three and a half tonnes (3.5 T) and twelve tonnes (12.0 T), manufactured or imported for sale in India, shall, on and from the 1st day of April, 2023, be tested for Constant Speed Fuel Consumption standard and comply with the Fuel consumption target, as notified under the Energy Conservation Act, 2001 vide notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2540(E), dated the 16th July, 2019 & S.O. 1464(E) dated the 29th March, 2022, as amended from time-to-time.

(2) The procedure for Conformity of Production (CoP) Procedure for verifying compliance to Constant Speed Fuel Consumption Norms shall be as laid down in AIS 149, as amended from time-to-time.

(3)The agency designated by the Ministry of Road Transport and Highways shall collect, examine and report the data submitted by vehicle manufacturers as specified under sub-rule (1) & (2) above, annually to MoRTH.

(C) For M3 and N3 category vehicles with GVW ≥ 12.0 T:-

(1) Every manufacturer or importer of M3 and N3 vehicle category, except Tippers, which are type approved under rule 126, with gross vehicle weight of twelve tonnes and above, manufactured or imported for sale in India, shall on and from the 1st day of April, 2023, shall be tested for Constant Speed Fuel Consumption standard and comply with the Fuel consumption target, notified under the Energy Conservation Act, 2001 vide notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2670(E), dated the 16th August 2017, amended by S.O. 3215(E), dated the 21st September, 2020 & S.O. 1465(E) dated the 29th March, 2022, as amended from time-to-time.

(2) The procedure for Conformity of Production (CoP) Procedure for verifying compliance to Constant Speed Fuel Consumption Norms shall be as laid down in AIS 149, as amended from time-to-time.

(3)The agency designated by the Ministry of Road Transport and Highways shall collect, examine and report the data submitted by vehicle manufacturers as specified under sub-rule (1) & (2) above, annually to MoRTH."

[No. RT-11035/03/2016-MVL(Part-1)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.01 21:18:56 +05'30'